अथवा नोटरी) संलग्न करना आवश्यक होगा। संस्था या फर्म का उद्योग विभाग/श्रम विभाग या निबंधन महानिरीक्षक कार्यालय का निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

iii. निविदादाता को किसी संस्थान/प्रतिष्ठान मे कैटरिंग/हाउसकिपिंग का न्यूनतम एक वर्ष कार्य करने का अनुभव होने के साथ–साथ अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदा अलग लिफाफे मे निम्न प्रकार रहेगी :–

- हाउस किपींग, साफ–सफाई, इलेक्ट्रोनिक एवं अन्य उपकरणों के रख–रखाव इत्यादि के संबंध में, वर्दी मे सेवा देने वाले कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान, कुशल/अर्द्धकुशल/अतिकुशल श्रमिकों के संबंध मे श्रम विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना पत्रांक 1202, दिनांक 28.03.2017 के अनुसूची–II मे निहित दिशा–निर्देशों के अनुरूप होगा एवं इसका व्यौरा सभी प्रकार के लागत एवं करों सहित संलग्न करना होगा।
- निविदादाता को जिला अतिथिगृह के संचालन, रख–रखाव, आतिथ्य व्यय, साफ–सफाई, रखे गये श्रमिकों तथा अन्य पर होने वाले व्यय का एक मुश्त मासिक दर वित्तीय निविदा मे अंकित करना होगा।

7. अतिथि गृह मे भोजन, चाय आदि से होने वाली आय संचालन संस्था को दी जायेगी।
8. जिला प्रशासन की ओर से केयर टेकर प्रतिनियुक्त किया जायेगा, जो संचालन व्यवस्था की निगरानी करेगा।
9. अतिथि गृह मे कमरों का आरक्षण पूर्वतः जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। किराये से प्राप्त राशि सरकारी खजाने मे जमा की जाएगी।
10. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। निविदा स्वीकृत होने पर एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।
11. सामग्री की आपूर्ति निर्धारित मापदंड/गुणवत्ता, मात्रा एवं दर के अनुरूप करनी होगी अन्यथा समानुपातिक रूप से विपत्र से कटौती करते हुए भुगतान की जायेगी।
12. निविदा दिनांक 17.08.2017 को अपराहन 02:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है तथा उसी दिन अपराहन 04:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष खोला जाएगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी वांछित कागजातों/प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे।
13. न्यूनतम मासिक दर वाले निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने तथा आदेश प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिला अतिथि गृह, सासाराम को सूचारू रूप से संचालन का कार्य प्रारंभ कर देना होगा। निविदादाता के द्वारा अपने कर्मियों को यूनिफार्म में रखना अनिवार्य होगा। युनिफार्म में नही पाए जाने पर मासिक विपत्र से समुचित राशि की कटौती कर ली जाएगी।

विस्तृत जानकारी जिला नजारत शाखा, रोहतास (सासाराम) से प्राप्त की जा सकती है।

जिला पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।